न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–322/15

1. लालाराम पुत्र छीतर दत्तक पुत्र बालू, जाति धोबी निवासी कांटोली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. सुरेश नेहरा पुत्र श्री मोहन नेहरा, जाति नट,
3. कविता पत्नी विजयराज,
4. रवेश पुत्र विजयराज नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता कविता पत्नी विजयराज, जाति नट, निवासीयान ग्राम हरसूलिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 07.11.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के आदेश दिनांक 29.06.2015 (प्रकरण संख्या 20/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को बालू ने अपने जीवनकाल में गोद पुत्र बनाकर दिनांक 27.001.1999 को उप पंजीयक कार्यालय फागी में पंजीयन करवा लिया था और अपीलान्ट ही बालू की सेवा सुश्रुषा करता आया है, बालू पुत्र सोन्या जाति धोबी का स्वर्गवास दिनांक 17.08.2010 को हो गया है, उक्त नामान्तरकरण में बालू के दत्तक पुत्र हाल अपीलान्ट को कोई हवाला नही दिया तथा स्व. बालू की बेवा गौरा देवी का भी अंकिन नही है तथा पटवारी हल्का द्वारा उनके नाम से नामान्तरकरण नही भरा गया बल्कि विरासत का नामान्तरकरण फर्जी वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है, अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा तथा गौरा पत्नी स्व. बालू जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 4 थी का भी 1/2 हिस्सा रहा है, अपीलान्ट की उक्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें वसीयत नही हो सकती है लेकिन फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट व बेवा गौरा देवी के नाम नामान्तरकरण स्वीकार नही करते हुए विरासत कार्यवाही नही करके फर्जी वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण भरा गया है जो गलत रूप से सुरेश नेहरा पुत्र मोहन नेहरा, जाति नेहरा नट व विजयराज पुत्र रमेशराज जाति नट के नाम भरा गया है जिसकी जानकारी दिनांक 05.05.2011 को पटवारी हल्का से होते ही नकल प्राप्त कर नामान्तरकरण संख्या 277 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ने अपीलान्ट की अपील खारिज कर उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखने के आदेश दिनांक 29.06.2015 को पारित कर दिये गये, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायिक विवेक से परिशीलन न कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे अहम कानूनी भूल की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर बालू का दत्तक पुत्र है, को एवं खातेदार की पत्नी गोरा पत्नी बालू के जायज वारिस एवं हकदार है, की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सरासर गलत पारित किया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने ने कथन किया है कि सुरेश व विजयराज ने बालू से फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाया है, जो भी निरस्तनीय है क्योंकि बालू जाति से धोबी और निवासी कांटोली का रहने वाला है जबकि सुरेश व विजयराज जाति से नट है और ग्राम हरसूलिया के निवासी है तो उक्त वसीयतनामें में कही यह तथ्य भी अंकित नही है कि बालू ने दूसरे गांव में रहने वाले नट जाति के लोगों को वसीयत क्यों की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है जो कि बालू की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है इसलिये बालू को सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का अधिकार नही था लेकिन इन सब बातों को नजरअन्दाज करते हुय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जांच नही की गई जबकि उक्त आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 29.06.2015 को पेश कर दिया था किन्तु अपीलान्ट के बीमार हो जाने की वजह से वकील साहब ने भी नकल नही निकलवाई तथा नामान्तरकरण संख्या 277 की प्रमाणित प्रति लेने में भी अपीलान्ट को देरी हो गई अपीलान्ट ने स्वस्थ्य होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा सम्पूर्ण नकल प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश की गई तथा विलम्ब को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 10.02.2011 को अपास्त किया जावे एवं रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 26.02.1999 के अनुसार तन्हा बालू का विरासत अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज व तस्दीक करने के आदेश प्रदान किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध एवं मियाद बाहर रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 10.02.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2015 को अपील निरस्त कर दी गई है, अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन भूमि को बालूराम की पैतृक सम्पत्ति दर्शाते हुये वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमि बालूराम द्वारा सुल्तान सिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत से क्रय की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 17 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स का यह कथन कि उक्त भूमि पैतृक थी और उसका वसीयतनामा निष्पादित करने का बालूराम का अधिकार नही था पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध है जिसको ही आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है चूँकि भूमि मृतक की स्व–अर्जित सम्पत्ति थी जिसे रहन, विक्रय इत्यादि करने का बालूराम को पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त था, ऐसी में अपीलान्ट की अपील मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह भी लिखा है कि अपीलाधीन भूमि बालूराम की स्व अर्जित सम्पत्ति थी जिसका सभी प्रकार से उपयोग, उपभोग करने एवं विक्रय, हस्तान्तरण करने व उसे अन्य को वसीयतनामा करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार था जिस पर बालूराम ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुये रेस्पोडेन्ट के हक में रजिस्र्डड वसीयतनामा दिनांक 22.06.2006 को निष्पादित किया है जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पूर्णतः विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जिसको ही आधार मानकर समस्त दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर कि भूमि स्व–अर्जित सम्पत्ति, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर नामान्तरकरण को बहाल रखा है जो विधि सम्मत है, ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट्स पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अपीलान्ट्स द्वारा स्वयं द्वारा वसीयत निरस्तीकरण के लिये सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है यदि अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में कर दी जाती है तो स्वतः ही उसे उसके अधिकार प्राप्त हो जायेगें, ऐसी स्थिति अपीलान्ट को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन नामान्तरकरण से सम्बन्धित समरी प्रोसिडिंग में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद द्वारा ही प्राप्त होंगे, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 29.06.2015 एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 10.02.2011 को यथावत रखने के आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार बालू पुत्र सोन्या द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 10.02.11 को तहसीलदार फागी द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त आराजी पैतृक हो या उक्त वसीयत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित की गई हो जिससे स्पष्ट है कि उक्त वसीयत वर्तमान में प्रचलन में एवं प्रभावशील है ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को अनुचित नही ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।